47

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(263) ग्रावि/ग्रुप–5/जीकेएन/उपापन/2015–16/ E.O. No.- 92275 जयपुर, दिनांक: 13-04-2017

स्थाई आदेश संख्या– 31/2017

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही सभी योजनाओं (महात्मा गांधी नरेगा योजना सहित) के अन्तर्गत सम्पादित कराये जा रहे विकास कार्यों के सम्पादन व्यवस्था हेतु पूर्व में जारी निर्देश/परिपत्र/स्थाई आदेशों के कम में निम्नानुसार निर्देश/संशोधन जारी किये जाते है :–

1. **विभिन्न विकास योजनाओ में निर्मित ग्रेवल सडको में प्रतिवर्ष होने वाले संभावित क्षरण के आदेश दि. 10 फरवरी, 2012 को निरस्त कर ग्रामीण विकास मंत्रालय (महात्मा गांधी नरेगा), भारत सरकार के पत्र दिनांक 06.03.2017 की पालना में निम्नानुसार निर्देश प्रभावी होगें :–**

- **नियत कालीन मरम्मत** (Periodical Maintenance)– सभी मौसम में उपयोगी बनाने हेतु सीसी सड़क एवं ग्रेवल सड़क निर्माण कार्य में आवश्यक तकनीकी मापदण्ड अनुसार कार्य सम्पादन एवं पॉवर रोलर से optimum moisture content स्तर तक कुटाई आवश्यक है। इसी संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 17.11.2016 द्वारा भी महात्मा गांधी नरेगा के साथ कंवर्जेन्स करते हुये गैर–पीएमजीएसवाई बसावटों को एकल बारहमासी संपर्क सड़कों के लिए आवश्यक मापदण्ड एवं दिशा निर्देश है। इस कम में ग्रेवल सडक कार्य का पूर्णता प्रमाण–पत्र जारी होने के एक वर्ष पश्चात् ही आवश्यकता होने पर मरम्मत कराई जा सकेगी। इस के उपरान्त पहले वर्ष में 5 प्रतिशत एवं दूसरे व आगामी वर्षो हेतु प्रत्येक वर्ष अधिकतम 10 प्रतिशत ग्रेवल सामग्री का उपयोग करते हुये ग्रेवल सडको का रख–रखाव किया जा सकेगा।

- **ग्रेवल सडकों की अधिकतम आयु :–** स्थायित्व समयावधि में सड़कों निर्माण के पुनरावंत (repetitive) कार्य करवाये जाने के कम में ग्रेवल सड़क की स्थिति में न्यूनतम 5 वर्ष से पहले सड़क पूनरावर्त (repetitive) कार्य नही कराये जाने बाबत् निर्देशित किया है अर्थात् ग्रेवल सडक जिसका किसी भी योजना से उक्तानुसार मरम्मत कार्य नहीं कराया गया है तो कार्य पूर्णता प्रमाण–पत्र जारी होने के पॉच वर्ष उपरान्त पुनरावर्त (repetitive) किया जा सकेगा। अतः ग्रेवल सडकों जिनकी किसी भी योजना से मरम्मत नहीं की गई हो, की कार्य पूर्णता प्रमाण–पत्र जारी होने की दिनांक से अधिकतम आयु पॉच वर्ष निर्धारित की जाती है।

2. **गॉवों के अन्दर नालियों के साथ आन्तरिक सड़क निर्माण एवं तकनीकी मापदण्ड :–**

गांव की आन्तरिक सड़क मुख्य सडक से जोडने वाली गांव की कॉलोनी/बस्तियों को जोडने वाली छोटी सडके, जिनकी चौडाई स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अलग–अलग हो सकती है। मुख्य आवागमन/बाजार की सडक, जो कि गांव के एक छोर से दूसरे छोर को जोडती है एवं आवागमन का मुख्य मार्ग रहता है। महात्मा गांधी नरेगा योजना में भारत सरकार के निर्देश दिनांक 24.04.2012 के द्वारा गांवों की आंतरिक सड़क की चौडाई 3 मीटर निर्धारित की गई है। शेष चौडाई में सडक निर्माण अन्य विभागीय योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध संसाधनों से कराई जा सकती है।

गांवों की उक्तानुसार मुख्य सडक के समीप बस्ती/मौहल्ला/कॉलोनी को जोड़ने वाले रास्ते/गलियां आदि जिन पर सामान्यतया हल्का यातायात भार रहता है, को आंतरिक सड़क कहां जाता है। इन आंतरिक सडकों में पूर्व में कोई खरंजा/ग्रेवल निर्मित है तो जीकेएन–2010 अनुसार बेस लेयर को छोडकर 4 इंच मोटाई का 1:1.5:3 सीमेन्ट कॉन्क्रीट में टॉप लेयर निर्मित कराया जा सकेगा, लेकिन नवनिर्माण की स्थिति में आंतरिक सडकों के लिए बेस लेयर 6 इंच की जगह 4 इंच 1:3:6 सीमेन्ट कॉन्क्रीट का प्रावधान करते हुए टॉप लेयर उक्तानुसार 4 इंच 1:1.5:3 सीमेन्ट कॉन्क्रीट का ही निर्मित कराया जाना निर्धारित किया जाता है।

आंतरिक सीमेन्ट सडक की अधिकतम चौडाई 5.5 मीटर तक की सीमा तक ही अनुमत होगी। विशेष परिस्थितियों में सहायक अभियन्ता या उससे वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी की तकनीकी रिपोर्ट के आधार पर 5.5 मीटर से अधिक चौडाई की आंतरिक सीमेन्ट सडकों के लिए 5.5 मीटर तक उक्तानुसार सीमेन्ट कॉन्क्रीट सडक एवं शेष चौडाई में, यदि आवश्यक हो तो ग्रेवल सडक/ईट, पत्थर, खरंजा/60 एमएम मोटी इंटर लॉकिंग सडक अनुमत होगी।

3. **सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं अन्य विभागों द्वारा निर्मित कराई गई/अधीन सडकों एवं उसके बर्म (पटरी) मरम्मत एवं झाडियां काटने का कार्य महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत दिशा–निर्देशानुसार स्वीकृति उपरान्त पंचायती राज संस्थाओं द्वारा भी सम्पादित कराये जा सकते हैं।**

4. **गावों में श्रमीको का नियोजन कर साफ–सफाई की विभिन्न गतिविधियां तय करने, इनकी बीएसआर/दर विश्लेषण का निर्धारण पर चर्चा।**

➤ गावों में श्रमीको का नियोजन कर साफ–सफाई की विभिन्न गतिविधियां हेतु बीएसआर/दर विश्लेषण का निर्धारण बाबत् :–

1. स्थानीय निकाय यथा – निकटतम नगर निगम/नगर परिषद्/नगर पालिका आदि में उनकी प्रचलित दरों में से 10 प्रतिशत ठेकेदार का लाभ कम कर अधिकतम दर सीमा निर्धारित की जावे।
2. उक्तानुसार निर्धारित नगर निकायों की प्रचलित दरों से 10 प्रतिशत कम दर की सीमा में जिला दर निर्धारण समिति द्वारा पंचायत समितिवार दरों के निर्धारण के लिए अधिकृत किया जावे।

5. **आम तौर पर गॉवों एवं ढाणियों में कदीमी रास्ते राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है, किन्तु वो लागातार उपयोग में आ रहे हैं। इन रास्तों में खंरजा बनाना हो या सड़क बनानी हो या सड़क बनानी हो तो खातेदार की सहमति से बनानें की अनुमति बाबत :–**

➤ विभागीय आदेश संख्या 26/2016 दिनांक 06.04.2016 की शर्त सख्या 13 के अनुसार "सडक निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि पर प्रचलित आम रास्तो के लिए भूमि से सम्बंधित कास्तकारो से सहमति, नियमानुसार शपथ पत्र के उपरान्त कार्य सम्पादन किया जा सकेगा" पूर्व में लागू है, जो महात्मा गांधी नरेगा योजना सहित सभी विभागीय योजनाओं अन्तर्गत सम्पादित सडक निर्माण कार्यो पर लागू होगा।

13.4.2017

(सुदर्शन सेठी)
अतिरिक्त मुख्य सचिव